भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/74/2017/एफ.सी/52 दिनॉकः 25.04.2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ0 प्र0।

Online Proposal No: FP/UP/TRANS/22201/2016

विषयः 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाईन के निर्माण हेतु इटावा में 1.0578 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन, औरेया में0.3484 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 50 वृक्षों के पातन एवं मैनपुरी में 0.2144 हे0 संरक्षिति वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग कुल 1.6206 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 60 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का पत्रांक–1938/उरई–अलीगढ़ (1.6206 हे0)/22201/2016, दिनांक–11.04.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–1362/उरई अलीगढ़ लाईन/22201/2016(1.3668), लखनऊ, दिनांक–14.11.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–26.09.2018 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी थी। जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाईन के निर्माण हेतु इटावा में 1.0578 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 10 वृक्षों के पातन, औरेया में0.3484 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 50 वृक्षों के पातन एवं मैनपुरी में 0.2144 हे0 संरक्षिति वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग कुल 1.6206 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 60 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (1.6206 x 2 = 3.2412 ha.) अर्थात् 3.2412 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा पारेषण लाईन के नीचे प्रस्तावित वन भूमि में बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
4. पीपली आरक्षित वन भूमि पर विस्थापितों द्वारा किए गए अतिक्रमण एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के उल्लंघन के बारे में विधि सम्मत् कार्रवाई पूरी की जाएगी तथा इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाएगी।
5. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

6. पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो।
7. पारेषण लाईन के लिए राइट आफॅ वे (right of way) की चौड़ाई 46 मीटर तक सीमित रहेगी।
8. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायगा।
9. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
10. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।
11. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
16. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(के0के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1. अति0 वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. विशेष सचिव (वन),वन अनुभाग, 6वां तल, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, इटावा, औरेया एवं मैनपुरी, उ0प्र0।
5. उप परियोजना प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0, 3517–पटेलनगर, निकट–होटल जायसवाल टावर, जालौन, उ0प्र0।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

25.4.19

(के0के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}